

## बवाल! केजरीवाल की बड़ी अपील ठुकराई, जज ने दे दिया ये करारा जवाब

### वषिय सूची (Table of Contents):

- >> मुख्य अपडेट्स...
- >> जस्टिस शर्मा ने याचिका क्यों खारजि की?...
- >> केजरीवाल के तर्क क्या थे?...
- >> क्या है शराब नीतिमामला?...
- >> वशिष्ठजी की राय...
- >> महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर...

दिल्ली हाई कोर्ट ने अखिल केजरीवाल की उस याचिका को खारजि कर दिया है जिसमें उन्होंने शराब नीतिमामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को खुद को केस से हटाने की मांग की थी। जज ने इसे ड्यूटी से मुंह मोड़ना बताते हुए साफ कहा कि वह किसी दबाव में नहीं आएंगी।

### मुख्य अपडेट्स

- >> जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद पर लगे आरोपों को नरिधार बताया।
- >> केजरीवाल की ओर से दाखलि याचिका को कोर्ट ने अटकलों पर आधार करार दिया।
- >> जज ने कहा- हटना समझदारी नहीं, ड्यूटी से भागना होगा ।
- >> जज ने 34 साल के करियर में पहली बार ऐसा फैसला सुनाया।
- >> यह मामला दिल्ली की शराब नीति 2021-22 से जुड़ा है।
- >> केजरीवाल ने 13 अप्रैल को खुद कोर्ट में अपना पक्ष रखा था।

### जस्टिस शर्मा ने याचिका क्यों खारजि की?

### केजरीवाल के तर्क क्या थे?

- >> केजरीवाल ने दावा किया कि जस्टिस शर्मा की कुछ कार्यक्रमों में मौजूदगी से पक्षपात की आशंका है।

>> उन्होंने रकियूज़ल की मांग करते हुए केस ट्रांसफर की अपील की थी।

>> हालांकि, जज ने इसे सरिफ शक और अंदाजे पर आधारित बताया।

## क्या है शराब नीत मामला?

## वशिषज्ज की राय

## महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

केजरीवाल ने दावा किया कि जस्टिस शर्मा की कुछ कार्यक्रमों में मौजूदगी से पक्षपात की आशंका बनती है, हालांकि जज ने इसे नरिधार बताया।

रकियूज़ल का मतलब है कि जज किसी मामले से खुद को अलग कर लेता है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। यह आमतौर पर तब होता है जब जज का किसी पक्ष से नज्जि या आर्थिक संबंध हो।

अब यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने ही आगे बड़ेगा। अगली सुनवाई में नयिमति कार्यवाही होगी और केजरीवाल को अपना बचाव करना होगा।